8.2.2023 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 से 3 के वकील उपस्थित।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्तव सामलाती खातेदारी की भूमि मौजा रईकों का नाडा पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 167 रकबा 0.0405 हेक्टयर खसरा नम्बर 168 रकबा 5.4608 हेक्टयर, खसरा नम्बर 168/2 रकबा 4.5142 हेक्टयर, खसरा नम्बर 860/234 रकबा 11.0024 हेक्टयर कुल रकबा 21.0179 हेक्टयर की स्थित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीया, पानी के टांके, मवेशियों के बाडे व चारवाडे आदि बने हुए है। प्रार्थीगण के खेत के चारों तरफ कत सेन्टलमेंट से कदीमी माठे स्थित है उस पर पेड़े पौधे वर्षों पुराने लगे हुऐ है। पक्की रहवासीय बागी बनी हुईहै। खेत के सेडे (माठ) बहुत पुराने बने हुए है इसी के मध्य प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास करते आ रहे है। कि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व उसके परिवार वाले झगडालू प्रवृति के व्यक्तिहै जो प्रार्थीगण के सेढा पडौसी है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण की भूमि की कीमतों में आई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण विप्रार्थीगण जो बदमाश प्रवृति के व्यक्तिहै जिन्होंने प्रार्थीगण के वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करना चाहते है तथा इस संबंध में विप्रार्थीगण ने कई बार प्रार्थीगण को एलानिया धमकिया भी दी। तब प्रार्थीगण द्वारा मौजिज व्यक्तियों से समझाईश करवाकर विप्रार्थीगण को समझाना चाहा परन्तु विप्रार्थीगण नहीं माने है। जबकि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में विप्रार्थीगण को अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने एवं प्रार्थीगण की भूमि अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का विप्रार्थीगण को कोईअधिकार नहीं है यदि विप्रार्थीगण अपने इस अविधिक कृत्य में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण का अकारण अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से वंचित होना पडेगा, जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों के साथ भारी कुठाराघात होगा। यदि विप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा। जिससे प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है जबकि विप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:06:33 IST
Reason: SelfAttested

102/2021

के पाबंद किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीगण के भूमि सेढों पर कदीमी काल से माठे स्थित है जिसे विप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर तोड कर प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध रूप से काबिज होने पर आमादा है इस बाबत कोई वैधिक अधिकारी नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा रईकों का नाडा पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 167 रकबा 0.0405 हेक्टयर खसरा नम्बर 168 रकबा 5.4608 हेक्टयर खसरा नम्बर 168/2 रकबा 45142 हेक्टयर, खसरा नम्बर 860/234 रकबा 11.0024 हेक्टयर कुल रकबा 21.0179 हेक्टयर में विप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं बाधा कारित न तो स्वयं करें तथा न ही से करावें तथा प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा न ही प्रार्थीगण के खेत के सेढा माठ तोड़ने का प्रयास करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

इसके विपरित वकील विप्रार्थीगण की तरफ से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विप्रार्थी सं. 1 से 3 की तरफ जवाब पूर्व में दिनांक 21.09.2022 को प्रस्तुत कर दिया गया, परन्तु सहवन में जवाब दावा में केवल मात्र विप्रार्थी सं. 2 का टंकण किया जा सका, जो मात्र लिपिकीय भूलवंश टंकित हुआ है, जो कि विप्रार्थी सं. 1 से 3 की तरफ से ही माना जावे। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी है जिसमे विप्रार्थीगण सहखातेदार नहीं है. प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के खातेदारी रेकर्ड के नवशे की सीमाओ में काबिज काश्त है, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थीगण सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थीगण का खेत विप्रार्थीगण से अलग है, जिनका पृथक–पृथक कब्जा कारत है, विप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की मेखमबन्दी करवा कर उसके चारो तरफ पक्के नेखमं स्थापित कर तारबन्दी की हुई है तथा विप्रार्थीगण के खेत के तारबन्दी के बाहर से प्रार्थीगण की खातेदारी सीमा व कब्जा काश्त प्रारम्भ होता है। प्रार्थीगण का यह कथन मनगढन्त एवं मिथ्या है कि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण की उक्त आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया हो जबकि इसके विपरीत प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 168/1 रकबा 85–17 बीघा ग्राम रईकों का नाडा में प्रार्थीगण द्वारा जब विप्रार्थीगण के उक्त खसरान की भूमि के सेढे तोड़कर विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के चारों ओर की माठे हटवाने की प्रयास किया तब प्रतिवादी संख्या [illegible] अपने खातदोरी खेत खसरा संख्या 168/[illegible] आवेदन माननीय न्यायालय में पेश किया [illegible] 203/2017 अनवान नगाराम बनाम लालाराम वगैरा का दर्ज [illegible], जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.05.2018 के द्वारा विप्रार्थीगण के उक्त खसरान की पक्की नेखमबन्दी आदेश किये, जिसकी पालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा दिनांक 26. 06.2021 को विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 168/1 की सीमाओं पर अधिकांश नेखम लगा दिये गये. परन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त नेखमं कार्यवाही में व्यवधान

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:06:33 IST
Reason: SelfAttested

नेखम लगा दिये गये. परन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त नेखमं कार्यवाही
पैदा करने पर दिनांक 09.07.2021 को पुलिस जाब्ता पुलिस थाना
नगर की मौजूदगी में शेष रहे नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी
कार्यवाही पूर्ण की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी
में दखलन्दाजी करने पर प्रतिवादी द्वारा अपने खेत की नेखमबन्दी करवाई
गई परन्तु प्रार्थीगण दखलन्दाजी से बाज नहीं आ रहे है उल्टा माननीय
न्यायालय में वाद पेश कर नेखमबन्दी कार्यवाही को छुपाकर मनगढन्त
तथ्यों के आधार यह आवेदन पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य
है, क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन से स्थगन आदेश की आड़ में
प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश से स्थापित नेखमबन्दी की
कार्यवाही को प्रभावित करने की मंशा जाहिर हो रही है जिसमें पृथम दृ
ष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में
साबित न होकर विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के पक्ष में साबित हो रही है,
क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी विप्रार्थीगण खातेदारी
भूमि की नेखमबन्दी आदेश का आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं कर उक्त
आदेश का उल्लघंन किया है और वास्तविक तथ्यों को छुपाकर माननीय
न्यायालय को गुमराह किया है, इस कारण आवेदन पत्र मिथ्या तथ्यों पर
आधारित होने एवं विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने और अपनी खातेदारी
भूमि खसरा संख्या 168/1 की विधि सम्मत प्रक्रिया से पारित श्रीमानजी के
न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति रोकने के लिये यह आवेदन पेश है,
प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की इस्तदुआ के अधिकारी नहीं
है, इसलिये प्रार्थीगण का आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जायें, हर्जा
खर्चा विप्रार्थीगण को दिलवाया जावें।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा विप्रार्थीगण सेढ़ा पड़ौसी है, ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य विवाद का मुख्य कारक आपसी सेढ़ा एवं माठों के कब्जा काश्त को लेकर है। जंहा तक विप्रार्थीगण का अभिकथन है कि उनके द्वारा अपनी खातेदारी जोत खसरा नम्बर 168/1 के संबंध में नेखमबंदी की कार्यवाही करते हुए नाप अनुसार अधिकाशं नेखम लगा दिये जाने तथा अब प्रार्थीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने का प्रशन है, ऐसी स्थिति में न्यायिक दृष्टिकोण के तहत पक्षकारान को मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के विधिवत सुनवाई बाद विवेचनात्मक अद्यतन के निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि पक्षकारान के मध्य उपजे विवाद के तौर पर जब तक मूल वाद का निस्तारण न हो तब तक दोनों पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है। ताफैसला मूलवाद दोनों पक्षो को जरियें अस्थाई स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि मौजा रईकों का नाडा पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 167 रकबा 0.0405 हेक्टयर खसरा नम्बर 168 रकबा 5.4608 हेक्टयर खसरा नम्बर 168/2 रकबा 45142 हेक्टयर, खसरा नम्बर 860/234 रकबा 11.0024 हेक्टयर कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ra
Date: 2023.02.17 15:06:33 IS
Reason: SelfAttested

102/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:06:33 IST
Reason: SelfAttested

45142 हेक्टयर खसरा नम्बर 860/234 रकबा 11.0024 हेक्टयर कुल रकबा 21.0179 हेक्टयर व खसरा नम्बर 168/1 रकबा 85.17 बीघा की भूमि के संबंध में पक्षवरान एक–दूसरे के कब्जे काश्त में की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।